प्रेस नोट
दिनांक 01.06.2024, थाना कोतवाली नगर
जनपद गोण्डा।

को0नगर पुलिस द्वारा साइबर फ्रॉड से पीड़ित के रु 25,000/- कराए वापस, पीड़िता ने गोण्डा पुलिस को कहा धन्यवादः-

गोण्डा। जनपद गोण्डा में साइबर फ्रॉड की रोकथाम के संबंध में त्वरित कार्यवाही करने हेतु पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक श्री मनोज कुमार रावत के मार्गदर्शन में थाना कोतवाली नगर पर गठित साइबर हेल्प डेस्क कर्मियों द्वारा पीड़िता से फ्रॉड की गयी धनराशि को साइबर सेल गोण्डा व सम्बंधित बैंक/इंटीमेडरी से संपर्क स्थापित करते हुए ठगी गयी धनराशि **25,000**/- रूपये पीड़ित के खाता में वापस करवाया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-
आवेदक श्री भोलेनाथ निवासी पथवालिया पोर्टरगंज थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा द्वारा थाना कोतवाली नगर गोण्डा को सूचना दिया की फ्रॉड काल के माध्यम से OTP शेयर करने पर रूपये फ्रॉड कर ट्रांसफर करा लिया गया है। जिस पर थाना कोतवाली नगर पर स्थापित साइबर हेल्प डेस्क पर नियुक्त कर्मियों द्वारा साइबर सेल गोण्डा व सम्बंधित बैंक/इंटीमेडरी से संपर्क स्थापित कर तत्काल कार्यवाही करते आवेदका के 25,000/- रूपये की धनराशि वापस करायी गयी। पीड़ित द्वारा अपने रूपये वापस पाकर प्रसन्नता जाहिर करते हुए गोण्डा पुलिस को धन्यवाद ज्ञापित किया गया।

नोटः- साइबर ठगों से सावधान रहने की जरुरत है। किसी भी अनजान फोन कॉल पर अपनी बैंक डिटेल, ओ0टी0पी0, बायोमैट्रिक डेटा, पैन कार्ड व आधार कार्ड की डिटेल किसी के साथ साझा न करें। फ्रॉड ट्रांजेक्सन होने पर तत्काल अपने बैंक एवं पुलिस को सूचना दें एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 या डायल-112 पर भी शिकायत दर्ज कराएँ।

सराहनीय कार्य करने वाली टीम में साइबर हेल्प डेस्क के प्रभारी उ0नि0 उदित कुमार वर्मा, का0 पंकज कुमार, म0का0 शिवानी तिवारी शामिल रहे।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक- 01.06.2024

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा जनपद गोण्डा में यातायात व्यवस्था में ड्यूटीरत सभी ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को गर्मी से बचाव हेतु छाता, पानी की बोतल (Cello), चश्मा, ओ.आर.एस. घोल एवं ग्लूकॉन-डी आदि सामग्री वितरित कर गर्मी से बचाव हेतु आवश्यक दिशानिर्देश दिए गए ।

आज दिनांक 01.06.2024 को पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा गुरुनानक चौक पर स्थित यातायात पुलिस बूथ पर पहुंचकर यातायात व्यवस्था में ड्यूटीरत सभी ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को गर्मी से बचाव हेतु छाता, पानी की बोतल(Cello), चश्मा, ओ.आर.एस. घोल एवं ग्लूकॉन-डी आदि सामग्री वितरित किया गया है। तथा महोदय द्वारा बताया गया की भीषण गर्मी के बीच चिलचिलाती तेज धूप व गर्मी से बचने के लिए धुप का चश्मा, छाता, टोपी, आदि अपने साथ जरूर रखे। जब आप खुले में ड्यूटी करते है तो सूर्य के सीधे सम्पर्क से बचे। सिर, चेहरा, हाथ पैरों को कपड़े से ढके रहे। छाता का प्रयोग करें। ओ0आर0एस0, घर में बने हुये पेय पदार्थ जैसे लस्सी, नीबू पानी, छाछ आदि का उपयोग करते रहे, जिससे शरीर में पीनी की कमी की भरपाई हो सके। इसके अतिरिक्त महोदय द्वारा बताय गया की पुलिस अधीक्षक कार्यालय एवं जनपद के सभी थानों पर आने वाले आगंतुकों को स्वच्छ/शीतल जल की उपलब्धता के लिए वाटर कूलर एवं आर0ओ0 एवं उनके बैठने हेतु शेड की भी व्यवस्था की गई है।

इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत, प्रभारी निरीक्षक को0नगर श्री राजेश कुमार सिंह, यातायात प्रभारी श्री जगदम्बा गुप्ता व अन्य अधि०/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक- 01.06.2024

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत 04 जून को होने वाली मतगणना को शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने हेतु सुरक्षा व्यवस्था की ड्यूटी लगाने के संबंध में चुनाव सेल में गोष्ठी कर संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए-

आज दिनांक 01.06.2024 पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत, 04 जून की मतगणना को निष्पक्ष व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने हेतु त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की ड्यूटी लगाने के संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत, अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधे श्याम राय व चुनाव सेल के अधि0/कर्मचारियों के साथ मीटिंग की गई। महोदय द्वारा बताया गया की लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 की मतगणना को शांतिपूर्ण व निष्पक्ष ढंग से सम्पन्न कराने हेतु 04 महत्वपूर्ण बैरियर बनाया गया है। पहला बैरियर श्री महादेव पेंट्स के सामने मुख्य मार्ग (मिश्रौलिया ओवरब्रिज के आगे उतरने पर) व दूसरा बैरियर बड़गाँव चौराहा के पास बनाया गया है । जिन पर तैनात सुरक्षाकर्मियों का दायित्व होगा कि मतगणना स्थल की ओर प्रत्याशी, प्रत्याशियों के एजेण्ट व चुनाव ड्यूटी में लगे हुए कर्मिक का पहचान पत्र व जिला निर्वाचन कार्यालय से निर्गत पास चेक करने के उपरान्त ही उनको तथा उनके वाहनों को आगे जाने दिया जायेगा। तीसरा बैरियर महादेव धर्मकांटा के आगे वैल्यू इलेक्ट्रॉनिक्स के पास बनाया गया जो मिश्रौलिया ओवरब्रिज की तरफ से आने वाले प्रत्याशी, प्रत्याशियों के एजेण्ट व चुनाव ड्यूटी में लगे हुए कर्मियों को रोककर उनके लिए बनाये गये पार्किंग स्थल स्वामी नाथ महादेव मैरिज लॉन व इरम हॉस्पिटल मोड़ के तरफ खाली मैदान में ही पार्किंग करायी जायेगी। इस प्रकार बड़गाँव की तरफ से आने वाले चौथे बैरियर जय माँ जहजवा सम्मय महारानी के पास रोका जायेगा तथा उनके वाहनों को बनाये गये पार्किंग स्थल आदर्श सामदेव संस्कृत महाविद्यालय व जय माँ जहजवा सम्मय महारानी के बगल में खाली स्थान में ही पार्किंग करायी जायेगी। पार्किंग स्थल से गल्ला मण्डी मतगणना स्थल तक 150 मीटर परिधि तक किसी भी प्रकार के वाहनों का प्रवेश पूर्णरूप से निषेध रहेगा। पुलिस बल द्वारा उक्त क्षेत्र में केवल पास धारक प्रत्याशी अथवा अन्य व्यक्तियों जिसमें मतगणना अधि0/कर्मचारी, मतगणना एजेंट को जिला निर्वाचन कार्यालय से निर्गत पास चेक करने के उपरान्त ही उनको प्रवेश की अनुमति दी जायेगी। जिसमें सुरक्षा के दृष्टिगत सशस्त्र पुलिस बल तैनात रहेंगी। मतगणना स्थल पर पान, मसाला, सिगरेट, माचिस, इलेक्ट्रानिक डिवाइस व ज्वलनशील पदार्थ ले जाना पूर्णतया प्रतिबन्धित है। लोक सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किसी भी प्रकार की जुलूस/रैली नहीं निकाली जाएगी। कोई भी मतगणना कर्मचारी, प्रत्याशी, प्रत्याशी एजेंट या अन्य किसी का मोबाइल फोन अंदर ले जाना पूर्णतया मना है। मतगणना को सकुशल सम्पन्न कराने हेतु 05 प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष, 25 निरीक्षक, 164 उ0नि0, 07 महिला उ0नि0 सहित करीब 1250 पुरुष एव महिला पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। इसके अतिरिक्त पर्याप्त संख्या के पीएसी व सीएपीएफ के जवानों की भी तैनाती की जायेगी । LIU द्वारा भी अवांछनीय/अराजक तत्वों एवं संदिग्ध व्यक्तियों पर सतर्क दृष्टि रखी जायेगी। मतगणना के दृष्टिगत 03 क्यू0आर0टी0 का गठन किया गया है जो दंगा नियन्त्रण उपकरणों से सुसज्जित होंगी । 01 क्यूआरटी मतगणना स्थल के मुख्य प्रवेश द्वार पर, द्वितीय क्यू0आर0टी0 को बडगाँव चौराहे तथा तृतीय क्यू0आर0टी0 को मिश्रौलिया चौराहे पर लगाई जाएगी । आइसोलेशन कॉर्डन में समस्त मतगणना हाल के सुरक्षा व्यवस्था के प्रभारी के रूप में 04 DySP स्तर के अधिकारीयों की ड्यूटी लगाई गई है जिनमे क्षेत्रधिकारी कर्नलगंज श्री चंद्रपाल शर्मा , क्षेत्रधिकारी सदर सुश्री शिल्पा वर्मा , क्षेत्रधिकारी मनकापुर श्री राजेश सिंह , तथा प्रशिक्षु क्षेत्रधिकारी सुश्री नित्या गोस्वामी की ड्यूटी लगाई गई है । अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय इनर कोर्डन के प्रभारी तथा अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत सम्पूर्ण मतगणना/आउटर कोर्डन के प्रभारी होंगे। मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा फायर सर्विस की गाड़ी का व्यवस्थापन सुनिश्चित कर लिया गया है तथा मानक के अनुसार ड्यूटी लगायी जायेगी। ड्यूटी में तैनात कर्मचारी ज्वलनशील वस्तुओं व तेल गैस या शार्ट सर्किट से लगने वाली आग पर नियत्रंण स्थापित करने वाले समस्त प्रकार के उपकरणों से सुसज्जित होगे।

इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत, अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय व अन्य अधि0/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 01.06.2024

'ऑपरेशन कनविक्शन' के तहत प्रभावी पैरवी से हत्या करने के आरोप में हुई सश्रम आजीवन कारावास व रूपए 22,000/- के अर्थदण्ड की सजा-

अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान 'ऑपरेशन कनविक्शन' जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा प्राथमिकता से करते हुए प्रभावी पैरवी करायी जा रही थी। जिसके फलस्वरूप हत्या करने के आरोप में आरोपी अभियुक्त को रंजीत पुत्र रामपाल सश्रम आजीवन कारावास व रु0 22,000/- हजार के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई।

दिनांक 20.06.2020 को थाना कटराबाजार क्षेत्र के अन्तर्गत पुलिस द्वारा हत्या जैसी जघन्य अपराध करने के आरोप में अभियुक्त रंजीत पुत्र रामपाल निवासी ग्राम अम्बोपुर, थाना फरघान जनपद लखीमपुर को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। शासकीय अधिवक्ता, मॉनिटरिंग सेल, कोर्ट मोहर्रिर व थाना कटराबाजार के पैरोकार के द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को माननीय न्यायालय सत्र न्यायाधीश गोण्डा द्वारा सश्रम आजीवन कारावास व रुपये 22,000/- हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

अभियुक्त का नाम पता-

01. रंजीत पुत्र रामपाल निवासी ग्राम अम्बोपुर, थाना फरघान जनपद लखीमपुर।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-134/2020, धारा 302/34 भादवि थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।
02. मु0अ0सं0-135/2020, धारा 4/25 आर्मस एक्ट थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

मीडिया सेल, गोण्डा।